समाहरणालय, बक्सर
(नजारत शाखा)

समाहरणालय, बक्सर की बाह्य स्रोत के माध्यम से साफ–सफाई हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

****

सरकार के सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 17 दिनांक 28.11.2008 के आलोक में बक्सर समाहरणालय के आधुनिकीकरण' के तहत मुख्य भवन / सभी कार्यालय कक्ष / बक्सर समाहरणालय परिसर की साफ सफाई (झाड़ू, पोछा), पार्क का रख–रखाव, विद्युत रख–रखाव हेतु इच्छुक व्यक्ति / स्वयंसेवी संस्था / फर्म से निम्नलिखित शर्तो एवं कार्य विवरणी के तहत मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

1. समाहरणालय भवन एवं परिसर में अवस्थित अन्य सभी भवनों के कमरों में झाड़ू लगाकर पोछा (फिनाइल से) सुबह **9.00** बजे से पहले तक करना होगा।
2. समाहरणालय भवन एवं परिसर के अन्य भवनों में स्थित शौचालय की साफ – सफाई दिन में तीन बार फिनाइल के साथ करना अनिवार्य होगा। साथ हीं सभी सफाई कर्मी कार्यालय अवधि में बने रहेंगें तथा लगातार फर्श की सफाई करते रहेंगें। सफाई कर्मी नियमित रूप से वाइपर का भी इस्तेमाल करेंगें।
3. समाहरणालय परिसर अवस्थित सभी सड़कों पर झाड़ू लगाने एवं कूड़ा हटाने का कार्य सुबह नौ बजे से पहले तक सम्पन्न कर लेना होगा। समाहरणालय पार्क में लगे घास तथा पौधो की कटाई – छटाई के अतिरिक्त पार्क का रख–रखाव करना अनिवार्य होगा।
4. समाहरणालय परिसर के अन्तर्गत मुख्य नाला के अतिरिक्त सभी नालों की नियमित सफाई करना होगा।
5. समाहरणालय भवन के बरामदा (नीचे एवं उपर) एवं मुख्य द्वार के अतिरिक्त सभी शौचालयों का दिन में **03** बार झाड़ू – पोछा / साफ–सफाई करना होगा। सप्ताह में एक बार सभी दरवाजा तथा खिडकी को भी साफ करना अनिवार्य होगा।
6. सभी शौचालयों में सफाई के अतिरिक्त नेपथलिन की गोली, हैण्डवास एवं ओडोनील की आपूर्ति (आवश्यकतानुसार) नियमित रूप से करनी होगी। साथ ही कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु सप्ताह में एक दिन सभी कार्यालय एवं परिसर को सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा।
7. समाहरणालय परिसर / भवन को संक्रमण मुक्त रखना होगा।
8. निविदादाता एक प्रबन्धक एवं कम से कम 8 मजदूर दैनिक सफाई कार्य हेतु रखेंगे। प्रबन्धक की जिम्मेवारी होगी कि वह दैनिक सफाई का प्रतिदिन पर्यवेक्षण करेंगे। निविदादाता द्वारा अपने कर्मियों को यूनिफार्म में रखना अनिवार्य होगा। यूनिफार्म में नहीं पाए जाने पर मासिक विपत्र से समुचित कटौती कर ली जाएगी। 02.00 बजे अप0 के पश्चात् कम से कम 04 कर्मी द्वितीय पाली के तहत सफाई हेतु कार्यालय बंद होने तक कार्यरत रहेंगे।
9. समाहरणालय स्थित पार्क के रख–रखाव के लिए एक माली एवं विद्युत संचालन व्यवस्था के रख – रखाव के लिए एक कुशल विद्युत मिस्त्री उपर्युक्त मजदूरों के अतिरिक्त रखना होगा।
10. वाहन पार्किंग का रख–रखाव एवं उसके स्वच्छता तथा सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

11- निविदादाता व्यक्ति / फर्म को GST का निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं अद्यतन GST रिटर्न की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12- निविदादाता को पैन कार्ड, अद्यतन आयकर रिटर्न एवं अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन भी समर्पित करना होगा।

13- निविदादाता को पूर्व में उक्त कार्य में कम से कम एक वर्ष के अनुभव संबंधी सरकारी / निबंधित गैर सरकारी संस्था के द्वारा निर्गत प्रमाण – पत्र संलग्न करना होगा।

14- काली सूची में नाम नहीं होने से संबंधित नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र देना होगा।

15- निविदादाता को उपर वर्णित कार्यों के लिए आपूर्ति किए जाने वाली सामग्री एवं मजदूरी का पूर्ण विवरण देते हुए न्यूनतम दर अंकित करना होगा, जो श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित अद्यतन दर से कम नहीं होना चाहिए।

16- सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इस आशय का एकरारनामा दाखिल करना होगा कि कार्य में किसी प्रकार की कमी पाए जाने की स्थिति में मासिक विपत्र से अनुपातिक राशि की कटौती की जा सकेगी एवं आवश्यकतानुसार एकरारनामा रद्द किया जा सकेगा। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् पूर्व की निविदा को स्वतः रद्द समझा जाएगा।

17- निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

18- निविदादाता को अग्रधन के रूप में जिला पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से **20000.00** (बीस हजार रू0 मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

19- निविदादाता को साफ–सफाई, रखे गये श्रमिकों तथा अन्य पर होने वाले व्यय का एक मुश्त मासिक दर वित्तीय निविदा में अंकित करना होगा।

20- निविदा दिनांक 25.06.2020 को 01.00 बजे अप0 तक प्राप्त किया जा सकता है तथा दिनांक 25.06.2020 को ही 03.00 बजे अप0 में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खोला जाएगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी वांछित कागजातों / प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे।

21- समाहरणालय परिसर में स्थित अन्य भवन यथा – जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सांख्यिकी भवन, सूचना भवन, निर्वाचन भवन, परिवहन, योजना भवन एवं कोषागार भवन की साफ – सफाई पर होने वाले व्यय निर्धारित दर के अनुपातिक क्षेत्रफल के आधार पर संबंधित कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

22- स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाएगी।

विशेष जानकारी के लिए वेबसाईट **www.buxar.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है तथा किसी भी कार्य दिवस में नजारत उपसमाहर्त्ता, बक्सर से सम्पर्क किया जा सकता है।

1/6/2020

अमन समीर, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी,
बक्सर